राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्
(भारत सरकार का एक विधिक संस्थान)
उत्तर क्षेत्रीय समिति

NCTE

NATIONAL COUNCIL FOR TEACHER EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Northern Regional Committee

रजिस्टर्ड

राअशिप/उक्षेस/फ-3/यूपी- 444 /2000/3263 दिनांक : 21.06.2000

भारत के राजपत्र भाग-3, खण्ड-4 में प्रकाशनार्थ

आदेश

महिला महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश ने बीएड द्वितीय पारी पाठ्यक्रम की मान्यता हेतु समिति कार्यालय में दिनांक 10.03.2000 को आवेदन किया था ।

संस्था के बीएड द्वितीय पारी पाठ्यक्रम की मान्यता पर विचार करने के लिए, संस्था के प्रकरण को उत्तर क्षेत्रीय समिति की दिनांक 13 मार्च, 2000 को सम्पन्न हुई 23 वीं बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया था । समिति ने प्रकरण पर विचार किया था किन्तु बीएड द्वितीय पारी के पाठ्यक्रम के लिए नार्मस् व स्टेण्डर्डस कमेटी द्वारा मानदण्ड व दिशा-निर्देश नहीं होने के कारण समिति उस समय निर्णय लेने में असमर्थ थी। फलस्वरूप बीएड (द्वितीय पारी) पाठ्यक्रम के विषय में नार्मस् व स्टेण्डर्डस् कमेटी का अभिमत जानना आवश्यक था । अतः नार्मस् व स्टेण्डर्डस् कमेटी का अभिमत जानने के निर्णय के साथ माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश से 3 माह की अवधि को बढ़ाने हेतु निवेदन करने का भी निर्णय लिया । समिति के निर्णयानुसार परिषद् मुख्यालय को दिनांक 21 मार्च, 2000 को नार्म्स एण्ड स्टेण्डर्डस कमेटी का अभिमत जानने के लिए पत्र लिखा गया था ।

नार्मस् व स्टेण्डर्डस् कमेटी की बैठक 17 अप्रेल, 2000 को हुई । कमेटी द्वारा बीएड (द्वितीय पारी) पर जो निर्णय लिया वह उत्तर क्षेत्रीय समिति की 26 वीं बैठक में दिनांक 8-9 जून, 2000 को प्रस्तुत किया गया । उत्तर क्षेत्रीय समिति ने नार्मस् एवं स्टेण्डर्डस् कमेटी के निर्णय एवं बीएड (द्वितीय पारी) के सभी पक्षों पर गहन विचार कर निर्णय लिया कि :—

'नार्मस् एवं स्टेण्डर्डस् कमेटी' का निर्णय था कि बीएड (द्वितीय पारी) पाठ्यक्रम राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के मानदंडों द्वारा निर्धारित शिक्षक-शिक्षा की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव डालती है । इसलिए बीएड (द्वितीय पारी) पाठ्यक्रम की मान्यता/अनुमति किसी भी प्रकार से नहीं दी जा सकती । नार्मस् एवं स्टेण्डर्डस् कमेटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि इसी कारण परिषद् ने बीएड (नियमित पाठ्यक्रम) जिसकी गतिविधियाँ प्रातः से सायं काल तक चलती हैं, के ही मानदंड बनाए हैं । बीएड पाठ्यक्रम जो पारियों में चले उसके मानदंड नहीं बनाए हैं ।

इन सब तथ्यों को एवं बीएड द्वितीय पारी द्वारा सैकण्डरी के शिक्षक शिक्षा के पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर विपरीत प्रभाव होने के कारण उत्तर क्षेत्रीय समिति का निर्णय है कि महिला महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश के बीएड (द्वितीय पारी) के मान्यता के आवेदन पत्र को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् के अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वीकार नहीं किया जा सकता । अतः बीएड (द्वितीय पारी) की मान्यता/अनुमति को अस्वीकार किया जाता है ।

उत्तर क्षेत्रीय समिति के उपरोक्त निर्णय के अनुसार महिला महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश के बीएड द्वितीय पारी पाठ्यक्रम की मान्यता को तुरन्त प्रभाव से अस्वीकार किया जाता है तथा संस्था एवं सम्बन्धित अभिकरण को यह निर्देश

दिया जाता है कि संस्था में बीएड द्वितीय पारी पाठ्यक्रम में प्रवेश न करें । यदि संस्था या सम्बन्धित विश्वविद्यालय प्रवेश करता है तथा उन छात्रों की परीक्षा आयोजित कर उनको बीएड द्वितीय पारी पाठ्यक्रम की उपाधि प्रदान करता है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 17 (4) के अन्तर्गत उन छात्रों को प्रदत्त बीएड की उपाधि केन्द्र सरकार कोई भी राज्य सरकार या विश्वविद्यालय या किसी भी विद्यालय या महाविद्यालय अन्य शैक्षिक संस्थान जो कि केन्द्र सरकार या किसी भी राज्य सरकार से अनुदानित हो में रोजगार के लिए वैध योग्यता नहीं मानी जाएगी यदि संस्था चाहे तो उक्त आदेश के सापेक्ष राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् अधिनियम 1993 की धारा 18 के अधीन परिषद् मुख्यालय में इस आदेश के जारी होने की तिथि से 60 दिन के भीतर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मुख्यालय के समक्ष अपील कर सकती है । अपील के संदर्भ में दिशा-निर्देश आदेश के साथ संलग्न किए जा रहे हैं । इस आदेश का अंग्रेजी अनुवाद शीघ्र जारी किया जा रहा है ।

आज्ञा से

(डॉ0 एस.एन. मेठी)
क्षेत्रीय निदेशक

प्रति —

प्रबन्धक
भारत सरकार
प्रकाशन विभाग
सिविल लाइन्स ,दिल्ली-110054

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :

1) शिक्षा सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शासन सचिवालय, लखनऊ
2) निदेशक, उच्च शिक्षा, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
3) कुल सचिव, सम्बन्धित विश्वविद्यालय
4) सदस्य सचिव, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली
5) प्राचार्य, महिला महाविद्यालय, कानपुर, उत्तर प्रदेश
6) कम्प्यूटर फाइल (अक्षेस)

क्षेत्रीय निदेशक